जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी– 1510 दिनांकः– 17-9-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 58वी बैठक दिनांकः 11.09.09 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		58:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 57वीं बैठक दिनांक 28.08.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 51वीं से 57वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 57वीं बैठक दिनांक 28.08.09 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के संदर्भ में उपायुक्त जोन 12 ने बताया की बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे। iii. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे। **III.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **53वीं बैठक** दिनांक 18.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				व 25(2) की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे और संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी प्लानिंग भी करवा ली जावे। संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे। उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को भेजी गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जावे साथ ही निदेशक (आयोजना) भी अपेक्षित प्लानिंग कर अवगत करावे। पीटी सर्वे करवाकर सॉफ्ट कॉपी निदेशक आयोजना को भिजवा दी गई है। प्रकरण में शीघ्र प्लानिंग करने के निर्देश दिये गये। **IV.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **57वीं बैठक** दिनांक 28.08.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 57:5 श्री नंदलाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 203 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के बदले अन्य रिक्त भूखण्ड संख्या 125, 137 व 193 में से एक भूखण्ड आवंटन करने। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.09.09 में पूर्व दर पर ही आवंटन का निर्णय लिया गया है। अतः प्रकरण आगामी एलपीसी की बैठक में पूर्ण तथ्यों के साथ पेश किया जावे। ii. प्रस्ताव संख्या 57:6 व 57:7 के संदर्भ में निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि वे एक माह में आवश्यक रूप से सीढियों का निर्माण करवावे। iii. प्रस्ताव संख्या 57:8 गोविन्दपुरा करघनी योजना में आवंटी से भूखण्ड संख्या सी–255 के मूल दस्तावेज जमा करवाये जाकर 15 दिवस में विनिमय की गई भूमि का लीज डीड जारी किया जावे। iv. प्रस्ताव संख्या 57:9(3) के संदर्भ में उपायुक्त जोन 7 को शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
1.	7	58:2	गोविन्दपुरा करघनी योजना के भूखण्ड सं. ए–249 क्षेत्रफल 136 वर्गमीटर के विनिमय में गोविन्दपुरा योजना में भूखण्ड सं. ए–408 देने बाबत।	प्रस्तावानुसार विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
2.	9	58:3	भूखण्ड सं. डी– 113 कार्नर के बढे हुये क्षेत्रफल 202.66	प्रस्तावानुसार आवासीय आरक्षित दर की दुगनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। बढा हुआ क्षेत्रफल

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			वर्गमीटर श्रीमती पुष्पा केडिया को आवंटन करने के संबंध में।	100वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3.	12	58:4	ग्रम चम्पापुरा तहसील जयपुर में 132 केवी जीएसएस स्थापित करने एवं आवासीय सुविधा के लिये ग्राम चम्पापुरा के खसरा नं. 177/1/1 व 179 में से 15 बीघा भूमि आवंटन बाबत।	संस्था द्वारा ग्राम चम्पापुरा के खसरा नं. 177/1/1 व 179 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन चाहा गया है किन्तु खसरा नं. 177/1/1 में 12 बीघा 10 बिस्वा में से सडक निर्माण के स्थान को छोडकर शेष क्षेत्रफल 10 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नं. 179 में 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। चूकि इस बढे हुए क्षेत्रफल की भूमि का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता अतः खसरा नं. 177/1/1 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मे से सडक निर्माण के स्थान को छोडकर शेष भूमि 10 बीघा 5 बिस्वा 132 केवी जीएसएस स्थापित करने हेतु नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.3 (208)नविवि/3/95पार्ट दिनांक 06.08.09 की पालना में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। खसरा नं. 179 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि0 के कर्मचारियों को रिहायशी कॉलोनी हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।
4.	6	58:5	लोहामंडी में हार्डवेयर एसोसियेशन के कार्यालय को आवंटित 300.00व.मी. भूखण्ड पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण उसके स्थान पर 247.00व.मी. भूमि आवंटन हेतु	चूकि लोहा मण्डी में अभी तक कोई निमार्ण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः एशोसीएशन को भूमि दिये जाने का कोई ओचित्य नहीं होता है। प्रकरण स्थगित किया जाता है।
5.	12	58:5(1)	बियानी शिक्षण समिति, जयपुर को Biyani's Interdiscipilinary Research & Ddvelopment University, Jaipur की स्थापना हेतु ग्राम कालवाड तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 168/2 में से 40बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।	संस्था की ओर से भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। भूमि क्रय करने हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयास का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन स्वयं भूमि का मौका देखे। विश्वविधालय अनुदान आयोग के नार्म्स, वित्तिय स्थिति का आंकलन करे तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि में से संस्था को न्यूनतम कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है एवं शेष बची हुई भूमि का क्या उपयोग हो सकता हैं, के बारे में परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
6.	12	58:5(2)	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 375 रकबा 13.64 हैक्टेयर में से 25बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर मे पूर्व मे भी भूमि आवटित की गई है। पूर्व में आवंटित भूमि का उपयोग किया अथवा नहीं एवं अब भूमि मांगने का क्या औचित्य है। उपायुक्त स्वयं भूमि का मौका देखकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के साथ पुनः एजेण्डा नोट पेश करे।
7.	13	58:5(3)	स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर चौधरी निवासी 2ए, सूरज	समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के

प्रति० आयुक्त (एल.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			नगर पूर्व सिविल लाईन्स, जयपुर को जविप्रा की राजभवन योजना में क्षेत्रफल 220वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड संख्या 204 से 208 में से एक भूखण्ड आरक्षित दर का 50प्रतिशत पर आवंटन के संबंध में।	नियम 17ए के अन्तर्गत आने वाले आवेदको के लिये जविप्रा की आवासीय योजना "राज भवन योजना" में 25 भूखण्ड आरक्षित किये जावे। तदोपरान्त प्रार्थी को भूखण्ड सं. बी–204 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
8.	13	58:5(4)	अशोक चक्रधारक शहीद स्व. श्री मेजर पुनीत नाथ दत्त की धर्मपत्नि को जविप्रा की राजभवन योजना में क्षेत्रफल 220वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड संख्या 204 से 208 में से एक भूखण्ड आरक्षित दर का 50प्रतिशत पर आवंटन के संबंध में।	प्रस्ताव सं. 58:5(3) में लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रार्थी को भूखण्ड सं. बी–205 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
9.	13	58:5(5)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडी श्रीमति कृष्णा पूनिया को जविप्रा की राजभवन योजना में क्षेत्रफल 220वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड संख्या 204 से 208 में से एक भूखण्ड आरक्षित दर का 50प्रतिशत पर आवंटन के संबंध में।	प्रस्ताव सं. 58:5(3) में लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रार्थी को भूखण्ड सं. बी–206 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	13	58:5(6)	संजय शिक्षा समिति जयपुर द्वारा अपेक्स विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु ग्राम चौंप तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1599 व 1600 में से 30हैक्टेयर भूमि आवंटन बाबत।	संस्था की ओर से भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। भूमि क्रय करने हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयास का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन स्वयं भूमि का मौका देखे। विश्वविधालय अनुदान आयोग के नार्म्स, वित्तिय स्थिति का आंकलन करे तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि में से संस्था को न्यूनतम कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है एवं शेष बची हुई भूमि का क्या उपयोग हो सकता है, के बारे में परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
11.	2	58:5(7)	राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि. के 33के.वी. ग्रिड सबस्टेशन खासा कोठी जयपुर को स्थानान्तरित करने बाबत।	हसनपुरा ओवरब्रिज राजपुताना शेरेटन के पास 33केवी सबस्टेशन जो खसरा नं. 9 व 10 ग्राम हथरोई में स्थित है। यातायात के सुगम संचालन हेतु इस सबस्टेशन को हटाया जाना है। इस ग्रिड सबस्टेशन के पीछे खसरा नं. 9 में से 50 वर्गगज तथा खसरा नं. 26 में से 350 वर्गगज कुल 400 वर्गगज भूमि 33केवी ग्रिड सबस्टेशन को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
12.	4	58:5(8)	एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल के पास 160फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों का पुनर्वास करने बाबत।	विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 200फीट रोड पर श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा को पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर सवाई गैटोर योजना में 112 वर्गमीटर का भूखण्ड 1650/– रू. प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। श्री अर्जुन लाल

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.), जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				रैगर को 90 वर्गमीटर का भूखण्ड सवाई गैटोर योजना में 1650/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। 160फीट रोड पर पुर्नवास हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 06.08.09 में वर्णित सात कब्जेधारी व्यक्तियों को प्रत्येक को 90 वर्गमीटर का भूखण्ड सवाई गैटोर योजना में 1650/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन का निर्णय लिया गया। उक्त सभी भूखण्डधारियो को उनके कब्जाशुदा भूखण्ड पर निर्माण का मुआवजा बीएसआर के आधार पर भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त आवंटन का प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की बैठक में धारा 44 के अन्तर्गत अनुमोदन कराया जावे।
13.	12	58:5(9)	भारतीय सामाजिक विकास समिति को विधास्थली विश्वविधालय हेतु ग्राम लबाना में 30 एकड़ भूमि आवंटन बाबत।	संस्था की ओर से भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। भूमि क्रय करने हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयास का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन स्वयं भूमि का मौका देखे। विश्वविधालय अनुदान आयोग के नार्म्स, वित्तिय स्थिति का आंकलन करे तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि में से संस्था को न्यूनतम कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है एवं शेष बची हुई भूमि का क्या उपयोग हो सकता है, के बारे में परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 58-वी बैठक दिनांक 11.09.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
5.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्रीमति सीमा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
7.	श्रीमति शूचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
11.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री हृदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री प्रकाश सिंह गोयल, उपायुक्त जोन-13	विशेष आमंत्रित
15.	श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	विशेष आमंत्रित
16.	श्री राकेश शर्मा, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
17.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित